

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर




क्रमांक :-सं.3-9 (2)स्था/पदोन्नति/ अभि/2018/9753- दिनांक :- 08/08/22
60

पदोन्नति आदेश


राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में वरिष्ठ सहायक के वर्ष 2017-18 एवं 2021-22 की विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषाओं का पुनर्विलोकन करने हेतु दिनांक 05.08.2022 को रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर श्री हरिशंकर शर्मा पुत्र स्व० श्री रामभरोसी शर्मा का वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2021-22 में चयन निरस्त करते हुए, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2021 एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त अभिमत की पालना में श्री हरिशंकर शर्मा पुत्र स्व० श्री रामभरोसी शर्मा को वरिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2017-18 में रिक्ति की दिनांक 01.04.2017 के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम 2017 के मैट्रिक्स लेवल-08 में पदोन्नत किया जाता है।

इनकी वरिष्ठता वरिष्ठ सहायक के पद पर श्री रमेश चन्द्र चौधरी पुत्र श्री रामलाल चौधरी के नीचे व श्री आसूराम पुत्र श्री झूमरराम से ऊपर रहेगी। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नकद लाभ वरिष्ठ सहायक पद पर की गई उपस्थिति दिनांक से देय होगा।


(चंचल मिश्रा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप निदेशक अभियोजन भरतपुर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय) राजस्थान जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन) राजस्थान जयपुर।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा :-सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर।
7. संस्थापन (मंत्रालयिक वरिष्ठ शाखा), अभियोजन निदेशालय जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर